भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1032

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

ग्रामीण क्षेत्रों में सीएसआर कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहलें

1032. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए की गई विशिष्ट पहलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य अवसंरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले सीएसआर कार्यकलापों में निवेश करने हेतु कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई ढांचा मौजूद है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान हरियाणा में विकास परियोजनाओं के लिए कुल कितना सीएसआर अंशदान प्राप्त हुआ है और भिवानी-महेंद्रगढ़ के लिए आवंटन का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों विशेषकर, सतत विकास को गति देने वाले क्षेत्रों में सीएसआर निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, हरियाणा में सीएसआर व्यय सहित देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। भिवानी-महेंद्रगढ़ जिले सहित हरियाणा में किए गए जिला-वार सीएसआर व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक II में दिया गया है।

(ख): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत कारपोपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है।

अधिनियम की अनुसूची VII में उन कार्यकलापों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें कंपनियों द्वारा उनकी सीएसआर नीतियों में शामिल किया जा सकता है। अधिनियम की अनुसूची VII की मद संख्या (i) का पाठ है "भूखमरी, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन, स्वच्छता के संवर्धन और स्वच्छ पेयजल

उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।

अधिनियम की अनुसूची VII की मद संख्या (ii) का पाठ है "विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, वृद्धों तथा निशक्त व्यक्तियों तथा आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित, शिक्षा का संवर्धन, जिसमें विशेष शिक्षा तथा रोजगार अभिवृद्धि कौशल शामिल हैं।"

सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फ़ाइल करना अपेक्षित है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फ़ाइल किए गए सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इन्हें www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है।

(ग): वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021- 22 और 2022-23 के दौरान हरियाणा में सीएसआर व्यय का क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक- III में संलग्न है। भिवानी-महेंद्रगढ़ में सीएसआर व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ): कंपनी के बोर्ड को कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन अपनी बोर्ड रिपोर्ट में करना अपेक्षित है। कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि इस प्रकार संवितरित निधियों का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों के लिए और तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव आकलन आदि का विवरण सभी कंपनियों द्वारा 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में सूचित किया जाना अपेक्षित है, जिसमें सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना शामिल है जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइटें हैं, उन्हें अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करना अपेक्षित है।

इस प्रकार, मौजूदा कानूनी प्रावधान जैसे अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के लेखाओं की सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रावधान आदि, के साथ-साथ कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित सीएसआर कार्यकलापों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।

*****

अनुलग्नक - I

दिनांक 02.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1032 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)						
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
1	अंडमान और निकोबार	0.82	1.29	2.86	9.71	2.53
2	आंध्र प्रदेश	665.97	710.23	719.81	656.79	954.65
3	अरुणाचल प्रदेश	24.56	18.02	10.58	119.42	13.35
4	असम	210.00	285.00	180.23	406.17	470.25
5	बिहार	137.95	110.48	89.89	165.97	235.37
6	चंडीगढ़	11.46	15.58	13.40	50.88	18.63
7	छत्तीसगढ़	149.35	269.68	325.63	305.29	596.11
8	दादरा और नगर हवेली	13.48	18.34	21.98	14.11	13.71
9	दमन और दीव	6.25	9.53	5.25	4.13	9.40
10	दिल्ली	750.85	830.00	724.59	1,196.34	1,483.91
11	गोवा	46.77	43.91	41.92	45.43	58.16
12	गुजरात	1,082.18	984.37	1,461.60	1,604.26	2,008.42
13	हरियाणा	378.11	537.91	550.86	683.95	701.07
14	हिमाचल प्रदेश	78.79	78.78	106.31	140.22	138.63
15	जम्मू और कश्मीर	36.44	25.27	35.56	50.68	71.22
16	झारखंड	109.80	155.21	226.54	193.33	388.35
17	कर्नाटक	1,257.69	1,448.16	1,277.81	1,839.73	1,985.82
18	केरल	354.78	298.56	290.67	239.73	351.60
19	लक्षद्वीप	0.39	-	0.01	0.45	0.02
20	लेह और लद्दाख	-	-	-	14.84	11.72
21	मध्य प्रदेश	243.55	220.46	375.51	427.68	656.42
22	महाराष्ट्र	3,147.72	3,353.24	3,464.81	5,380.41	5,497.32
23	मणिपुर	7.81	14.21	10.39	15.62	53.45
24	मेघालय	16.54	17.65	17.63	19.63	21.73
25	मिजोरम	0.11	0.25	0.97	6.94	10.99
26	नागालैंड	2.12	5.10	3.57	12.46	13.57
27	ओडिशा	697.91	717.39	578.16	670.32	987.70
28	पुडुचेरी	9.15	11.32	12.43	9.31	12.55
29	पंजाब	166.85	189.44	158.46	184.89	247.57
30	राजस्थान	595.49	734.12	670.00	711.82	1,102.37
31	सिक्किम	5.87	10.99	17.28	28.24	36.18
32	तमिलनाडु	877.08	1,072.26	1,174.07	1,432.06	1,562.48
33	तेलंगाना	428.06	445.80	627.71	685.87	1,007.54
34	त्रिपुरा	23.06	9.40	9.29	15.91	19.26
35	उत्तर प्रदेश	521.32	577.98	907.32	1,339.18	1,152.57
36	उत्तराखंड	172.31	124.70	160.58	228.08	301.11
37	पश्चिम बंगाल	382.23	423.85	471.48	567.21	762.29
38	पैन इंडिया*	6,443.53	9,385.66	7,805.03	5,525.16	6,060.98
39	अन्य केंद्रीकृत फंड	1,156.86	1,790.69	3,491.30	1,613.57	948.81
40	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	4.44	20.97	169.47	0.52	20.12
	कुल	20,217.65	24,965.82	26,210.95	26,616.30	29,987.92

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो क्षेत्र के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्र निदष्ट किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक - II

दिनांक 02.12.2024 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1032 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2018-19 से 2022-23 तक हरियाणा राज्य में जिलेवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)						
क्र.सं.	**जिला**	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	अंबाला	4.48	5.76	7.71	10.39	18.08
2	भिवानी	4.56	1.55	2.26	11.77	5.58
3	फरीदाबाद	33.76	32.09	42.89	68.34	74.92
4	फतेहाबाद	2.25	0.12	3.21	2.44	5.72
5	गुरुग्राम	62.08	128.70	135.73	298.59	280.21
6	हिसार	8.81	12.36	18.88	23.64	21.42
7	झज्जर	10.53	30.99	51.98	44.38	34.04
8	जींद	0.48	0.83	1.66	1.85	2.48
9	कैथल	0.09	-	0.06	0.23	0.53
10	करनाल	8.22	9.03	18.54	7.71	10.05
11	कुरुक्षेत्र	0.30	0.36	1.10	3.05	4.69
12	महेंद्रगढ़	0.03	0.14	1.54	1.34	3.82
13	नूंह	2.74	3.38	4.87	15.49	51.44
14	पलवल	0.27	3.35	4.02	2.43	0.60
15	पंचकुला	3.63	5.57	6.48	16.20	15.74
16	पानीपत	1.91	3.45	3.47	18.04	23.71
17	रेवाड़ी	5.59	6.07	12.45	28.63	32.89
18	रोहतक	2.61	3.30	10.82	9.00	10.82
19	सिरसा	0.03	0.05	0.12	1.03	6.28
20	सोनीपत	9.06	9.80	12.79	34.95	57.08
21	यमुनानगर	1.03	2.73	2.92	8.65	7.49
22	पैन इंडिया*	-	-	-	-	0.06
23	एनईसी (अन्यत्र कवर नहीं)/उल्लेख नहीं किया गया*	215.65	278.28	207.36	75.80	32.52
	कुल	**378.11**	**537.91**	**550.86**	**683.95**	**700.16**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो क्षेत्र के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्र निदष्ट किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

अनुलग्नक - III

दिनांक 02.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1032 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2018-19 से 2022-23 तक हरियाणा राज्य में सेक्टर-वार सीएसआर व्यय
(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्त वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
1	कृषि वानिकी	0.00	0.00		1.39	2.67
2	पशु कल्याण	2.23	4.32	12.42	15.93	25.88
3	सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, युद्ध विधवाएं /आश्रित	0.28	0.33	0.42	0.18	2.27
4	कला और संस्कृति	4.32	2.52	1.70	5.26	8.70
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	1.61	1.32	0.72	16.41	21.02
6	शिक्षा	144.40	188.94	209.51	214.79	235.18
7	पर्यावरणीय स्थिरता	27.36	29.66	22.83	69.57	79.10
8	लैंगिक समानता	0.65	3.19	0.51	1.33	1.59
9	स्वास्थ्य देखभाल	58.22	81.89	186.96	166.65	118.29
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	4.95	13.12	5.16	4.33	10.97
11	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	5.60	15.55	26.82	29.52	22.31
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	36.57	23.31	12.61	23.41	71.62
13	स्वच्छ पेयजल	3.62	2.33	1.51	2.62	2.89
14	स्वच्छता	44.70	47.77	11.65	8.87	5.19
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	2.31	7.63	2.86	14.05	10.93
16	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	0.62	0.15	0.35	26.87	1.16
17	अनाथालय की स्थापना	0.55	20.33	0.52	0.92	1.02
18	स्लम क्षेत्र विकास	0.42	0.53	0.42	0.34	0.34
19	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	3.22	0.72	1.43	0.99	0.30
20	विशेष शिक्षा	2.20	14.25	11.75	5.75	11.17
21	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	0.39	0.13	0.28		
22	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	3.84	5.13	1.25	6.73	6.00
23	व्यावसायिक कौशल	21.13	68.16	34.32	63.38	55.16
24	महिला सशक्तिकरण	8.91	6.60	4.87	4.64	6.42
	कुल	**378.11**	**537.91**	**550.86**	**683.95**	**700.16**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)